


(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)



दिनांक: 21 मार्च, 2018

संकल्प

26 MAR 2018

संख्या 11034/48/2014- रा.भा.(नीति): राजभाषा विभाग द्वारा दिये जा रहे राजभाषा पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

(क) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली शील्डों के लिए मंत्रालय/ विभाग/ उपक्रम/ बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ बैंक आदि के कार्मिकों की संख्या कम से कम 30 होने पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) कार्यालय ज्ञापन सं 11034/48/2014 - रा.भा.(नीति) दिनांक 25.03.2015 जो राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना से संबन्धित है के

i. मद सं. 'क(4)' के अंतर्गत दिये जाने वाले 10 प्रोत्साहन पुरस्कार और मद सं. 'ख' के अंतर्गत दिये जाने वाला 1 प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2017 से समाप्त कर दिये गए हैं।

ii. मद सं. 'ख-(5) : प्रविष्टि भेजने की विधि' के अंतर्गत निम्न उप-मद सं (v) जोड़ दी गई है "सेवानिवृत्त कार्मिक अपनी पुस्तक, पीपीओ की कॉपी संलग्न कर, राजभाषा विभाग को सीधे भेज सकते हैं।"

iii. मद सं. 'क-(6)' और 'ख-(4)' जो सामान्य शर्तों के संदर्भ में हैं के अंतर्गत निम्न उप-मद सं (xi) जोड़ दी गई है "पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल ISBN वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।"

(ग) राजभाषा कीर्ति/ क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले को पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रशासक (सचिव)

ADMINISTRATOR'S SECRETARIAT
दमण एवं दीव, दमण/DAMAN & DIU, DAMAN.
FTS DIARY

Inward No. 1833 Dt. 04/04/18
Outward No. 1208756 Dt. 04/04/18

Dy. sec. (अग्र) 1211037
dt. 9/4/18

(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

वित्त विभाग/FINANCE DEPARTMENT
सचिवालय/SECRETARIAT, MOTI DAMAN
दमण एवं दीव/DAMAN & DIU
FTS DIARY LETTER
INWARD No. 1833 Dt. 04/04/18
Dt. 05/04/18

